



राजस्थान-सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

दूरभाष सं० : 0141-2224878

ई-मेल: rmssc.mnjy@gmail.com

क्रमांक: एक040/एमएनजेवाई/बीएफसी/2014-15/294

दिनांक: 14/1/14

समस्त संयुक्त निदेशक जोन,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,

राजस्थान।

**विषय: नवसृजित एवं क्रमोन्नत सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना आरम्भ करने के क्रम में।**

राज्य सरकार के विभिन्न आदेशों द्वारा नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सृजन एवं क्रमोन्नयन किया गया है।

आपके अधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमशः मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना 1 जुलाई 2013 एवं 15 अगस्त 2013 से संचालित है।

श्रीमान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय एवं श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय से प्राप्त निर्देशानुसार नवीन चिकित्सा संस्थानों, जहां भवन एवं चिकित्साकर्मी उपलब्ध है, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना आरम्भ करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः आप अपने अधीन नवसृजित एवं क्रमोन्नत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संतान प्रोफार्मा में 1. आधारभूत संरचना 2. मानव संसाधन 3. उपकरण 4. रिजिस्ट्रेशन एवं कन्ज्यूमेबल्स से संबंधित सूचना अग्रिम तीन दिवस में rmssc.mnjy@gmail.com पर आवश्यक रूप से भिजवायें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की BFC नवम्बर माह के अन्तिम सप्ताह में प्रस्तावित है। अतः आप अपने अधीन नवीन चिकित्सा संस्थानों की उपरोक्त सूचना यथाशीघ्र भिजवायें। ताकि इन चिकित्सा संस्थानों पर मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना आरम्भ करने हेतु आवश्यक व्यय की गणना का प्रस्ताव BFC में रखा जा सके।

परियोजना निदेशक

मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना

राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एक04( ) एमएनजेवाई/बीएफसी/2014-15/

दिनांक :

**प्रतिलिपि:**

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चि0 एवं स्वा0 विभाग, जयपुर।
2. निजी सहायक, प्रबंध निदेशक, आरएमएससी एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, चि0स्वा0 विभाग, जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वास्थ्य), चि0 एवं स्वा0 विभाग, जयपुर।
4. नोडल अधिकारी, एमएनजेवाई, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक

मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना

राजस्थान, जयपुर